जी. एस. संधवालिया से पहले, जे.

एम. एस. याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य -प्रतिवादी

2014 का सीडब्ल्यूपी **No.1044**

18 जनवरी, 2017

भारत का संविधान, **1950**-कला।**226** और **227**-सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005**-धारा **8 (1) (**जी**)** और **(**एच**)**-ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालती है या सार्वजनिक हित में छूट प्राप्त अपराधियों पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया में बाधा डालती है-याचिकाकर्ता द्वारा दायर दूसरी अपील इस आधार पर खारिज कर दी गई कि मांगी गई जानकारी छूट खंड के तहत आती है-संशोधन को प्राथमिकता दी जाती है-निदेशक, सी. बी. आई. द्वारा की गई सिफारिशें, प्राथमिकी आर. में याचिकाकर्ता का नाम शामिल करने के लिए और प्रारंभिक जांच करते समय दर्ज किए गए गवाहों के बयान-आयोजित, विधायिका ने अपने विवेक से इस प्रकार की जानकारी को सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण से छूट दी है-ऐसी जानकारी का खुलासा करने के परिणाम याचिकाकर्ता के अधिकार को अभिभूत कर देंगे-याचिका खारिज कर दी गई।

माना जाता है कि सूचना के स्रोत की पहचान ऐसी है कि यह किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।स्रोत पुलिस के लिए एक मुखबिर हो सकता है और जो पुलिस को जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इसमें जनहित शामिल होगा। इसलिए, ऐसे व्यक्ति की गोपनीयता बनाए रखना जनहित में होगा और इसलिए, विधायिका ने अपने विवेक में, इस प्रकार की जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी है।इस प्रकार, ऐसे व्यक्तियों द्वारा अभियोजन पक्ष को विश्वास में दी गई सहायता से भी जानकारी के प्रकटीकरण से समझौता किया जा सकता है।यह उक्त व्यक्तियों के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और इसलिए, अधिनियम के तहत छूट खंड को आकर्षित करेगा।याचिकाकर्ता को उक्त जानकारी देने से केवल यह सुनिश्चित

होगा कि पुलिस के पास जिस तरह का स्रोत है, वह भविष्य में तब नहीं होगा जब किसी आरोपी के पूछने पर ऐसी जानकारी का खुलासा हो जाए।इस प्रकार, प्राप्त जानकारी की गोपनीयता का खुलासा करने के दूरगामी परिणाम, याचिकाकर्ता के अधिकार को अभिभूत कर देंगे। (पैरा 14)

इसके अलावा, इसी तरह, खंड 8 (1) (एच) के तहत, एक बार जब अपराधी का अभियोजन अभी भी प्रक्रिया में है, क्योंकि यह विवादित नहीं है कि चालान दायर किया गया है, लेकिन मुकदमा चल रहा है, इसलिए 'अपराधी का अभियोजन' की परिभाषा को पहले वाले भाग के अलावा अलग से पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें जांच के उद्देश्य से छूट का दावा किया गया है।जाँच समाप्त हो सकती है लेकिन अपराधी का अभियोजन जारी रहता है और इसलिए, महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित जो अभियोजन पक्ष के लिए उपलब्ध है, जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोपी से संबंधित, इस प्रकार, समझौता किया जाएगा यदि आवश्यक जानकारी, इस तरह, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी-अधिकारियों द्वारा जो आशंका व्यक्त की गई है, उसे मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता है और यह एक वास्तविक आशंका है, न कि जानकारी को नकारने के लिए केवल एक छलावा है।इस प्रकार, जाँच में शामिल प्रक्रिया या कार्यप्रणाली भी उजागर हो जाएगी और अभियोजन पक्ष के मामले में बाधा उत्पन्न करेगी, यदि इस स्तर पर, ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित की है और किसी भी विचलन की अनुमति है, तो इस प्रकार, केवल अपराधियों के अभियोजन में बाधा उत्पन्न होगी।जाँच के पर्यवेक्षण में घुसपैठ, जो कि एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है, केवल अधिकारियों को बाहरी दबावों के लिए उजागर करेगी और उस स्वतंत्रता को सीमित करेगी जिसके साथ जाँच की गई थी और अभियोजन जिसे चलाया जाना था।यह केवल आपराधिक मुकदमे के लिए प्रतिकूल होगा जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता, जैसा कि देखा गया है, आधिकारिक मामले की फाइल की प्रमाणित प्रतियां मांग रहा है जिसमें जांच अधिकारियों की टिप्पणियां और तत्कालीन निदेशक, सी. बी. आई. की पर्यवेक्षी टिप्पणियां होंगी। अतः यह जानकारी अनिवार्य रूप से खंड 8 (1) (जी) और (एच) के दायरे में आएगी और इस प्रकार उसे प्रदान नहीं की जा सकती है।इस प्रकार, प्रत्यर्थी-आयोग उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सभी उक्त सूचनाओं का खुलासा करने से सूचना के स्रोत

की पहचान करने के अलावा व्यक्तियों के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरा होगा। (पैरा 15)

आशीष गुप्ता, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए।

सुमित गोयल, उत्तरदाताओं के लिए संख्या 2 से 4 के लिए स्थायी वकील।

जी. एस. संधवालिया जे.

(1) वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दिनांकित 16.06.2009 (अनुलग्नक P3), 08.07.2009 (अनुलग्नक P5) और M.S.MALIK बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और 05.07.2013 (अनुलग्नक पी9) जिसके तहत सूचना मांगने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के तहत खारिज कर दिया गया है।

(2) प्रतिवादी संख्या 1/आयोग द्वारा दिनांक 05.07.2013 (अनुलग्नक पी9) द्वारा पारित आदेश में दिया गया तर्क यह है कि मांगी गई जानकारी अधिनियम की धारा 8 (1) (जी) और (एच) के तहत छूट खंड के तहत आती है और इसलिए, दूसरी अपील को तदनुसार खारिज कर दिया गया था।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त जानकारी प्रदान करने से, सी. बी. आई. के विभिन्न अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और मूल्यांकन किए गए किसी भी व्यक्तिगत साक्ष्य की ताकत और कमजोरियां आरोपी और उस पर मुकदमा चलाने के लिए प्रस्तावित रणनीति के हाथों में आ जाएंगी।इसके अलावा, यह आदेश की श्रृंखला के साथ-साथ अलग-अलग अधिकारियों की पहचान को भी प्रकट करेगा, जिसमें पक्ष में और हाथ में मौजूद साक्ष्य के खिलाफ टिप्पणियों और विचारों को दर्ज किया जाएगा और संभवतः, मामले में प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य को आरोपी के रूप में बनाया जाना चाहिए।यह अधिकारियों को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए संभावित खतरों से भी अवगत कराएगा, इसके अलावा जानकारी के विभिन्न स्रोतों की पहचान का भी खुलासा करेगा जिन्हें एकत्र किया गया होगा और सबूत के रूप में शामिल किया गया होगा। उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता, जो जानकारी मांग रहा था, इस प्रकार, उसे अस्वीकार कर दिया गया।परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है।

(3) याचिकाकर्ता, जो हरियाणा के एक सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक हैं, को उनके मामले के अनुसार, श्री विजय शंकर, प्राथमिकी एस., तत्कालीन निदेशक, सी. बी. आई. के प्रशासनिक आदेशों पर कथित रूप से गलत तरीके से ए. सी. बी., चंडीगढ़ 2006 आर. सी. सी. एच. जी. 2006 ए. आई. डी. 1 में फंसाया गया था। याचिकाकर्ता का मामला है कि उक्त अधिकारी हरियाणा के तत्कालीन डी. जी. पी. श्री निर्मल सिंह के बैच-मेट थे, जिनकी याचिकाकर्ता के साथ सेवा प्रतिद्वंद्विता थी और इस प्रकार, उन्हें उपरोक्त मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।नतीजतन, उन्होंने उपरोक्त प्राथमिकी आर. से संबंधित विभिन्न जानकारी मांगने के लिए दिनांक 27.04.2009 (अनुलग्नक पी1) पर एक आवेदन दायर किया था। यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान समय में, यह न्यायालय केवल बी एंड सी बिंदुओं की जानकारी से संबंधित है, जैसा कि स्वीकार किया जाता है, प्रारंभिक जांच की प्रति, जिसका उल्लेख Sr.No.A पर किया गया है, उसे पहले ही प्रदान की जा चुकी है।माँगी गई जानकारी इस प्रकार हैः

"a) प्रारंभिक जांच की प्रमाणित प्रति सं। श्री के विरुद्ध जी. आर. पी. में भर्ती के संबंध में दिनांक PECHG.2005A0002। रवि आजाद, आई. पी. एस., तत्कालीन एस. पी./जी. आर. पी./हरियाणा, अंबाला और दो पुलिस उपाधीक्षक जो खंड बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य थे।

b) प्रारंभिक जाँच सं. करते समय दर्ज किए गए सभी गवाहों का बयान। आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले PECHG.2005A0002 दिनांक 25.8.2005 श्री के खिलाफ प्राथमिकी No.Chandigarh सी. बी. आई. ए. सी. बी., चंडीगढ़ 2006 आर. सी. सी. एच. जी. 2006 ए. आई. टी. 17 दिनांक 19.06.2006 के माध्यम से। रवि आजाद, आई. पी. एस. तत्कालीन एस. पी./जी. आर. पी./हरियाणा, अंबाला और अन्य।

c) श्री विजय शंकर द्वारा की गई टिप्पणियों/राय/टिप्पणियों/सिफारिशों वाली सी. बी. आई. की आधिकारिक केस फाइल की प्रमाणित प्रति। विजय शंकर, आई. पी. एस.,

तत्कालीन निदेशक, सी. बी. आई. ने FIR NO. चणदीगढ, CBI ACB,चणदीगढ 2006 RCCHG 2006 A0017 दिनाक 19.06.2006, आई. पी. एस. 120-बी, 420,468,471 और 201 और पी. सी. अधिनियम 1988 की खंड 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (डी) के तहत विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई., अंबाला की अदालत में विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. के खिलाफ दर्ज इस आपराधिक मामले में डॉ.M.S.MALIK आई. पी. एस. (सेवानिवृत्त) पूर्व पुलिस महानिदेशक का नाम अंतिम रिपोर्ट U/S 173 CR.P.C. में शामिल करने और विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई., अंबाला की अदालत में आई. पी. एस. (सेवानिवृत्त) के अभियोजन की सिफारिश करने के लिए मामला दर्ज किया। रवि आजाद, आई. पी. एस., तत्कालीन S.P./GRP, हरियाणा, अंबाला और चयन बोर्ड के अध्यक्ष और दो पुलिस उपाधीक्षक और चयन बोर्ड के सदस्य अर्थात् श्री. उदय शंकर और श्री. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अरुण कुमार ने FIR देखी।"

(4) प्रतिवादी No.3-CPIO द्वारा पारित दिनांक 16.06.2009 के आदेश के माध्यम से उन्हें इस आधार पर जानकारी देने से इनकार कर दिया गया था कि मामला विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, अंबाला की अदालत में विचाराधीन था और अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप-पत्र में सीबीआई द्वारा मांगे गए किसी भी दस्तावेज पर भरोसा नहीं किया गया है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि सूचना की आपूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि यह अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डालेगी और अधिनियम की खंड 8 (1) (एच) के तहत छूट दी गई है।

(5) याचिकाकर्ता ने प्रथम अपील दायर की कि उसका नाम अंतिम चरण में अभियुक्तों की सूची में शामिल किया गया है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह विभाग की प्रतिद्वंद्विता के कारण था।खंड ए के अनुसार मांगी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करते समय, मांगी गई शेष जानकारी को फिर से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि अधिनियम की धारा 8 (1) (जी) और 8 (1) (एच) के तहत छूट थी और बयानों का खुलासा गवाहों के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा और कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा और अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डालेगा।

(6) नतीजतन, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी NO.1 के समक्ष दूसरी अपील दायर की, जिसमें दावा किया गया कि दस्तावेजों को रोका नहीं जा सकता है और यह पता लगाने की

आवश्यकता है कि जांच के किस चरण में और किसके कहने पर याचिकाकर्ता का नाम मामले में एक आरोपी के रूप में जोड़ा गया था। प्रारंभ में, प्रतिवादी No.1-Commission ने इसे 12.01.2011 (A-P7) इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्होंने विभिन्न स्तरों पर दर्ज टिप्पणियों की जांच की थी और इसलिए, यह आशंका कि कुछ पक्षपातपूर्ण कारणों से उनका नाम उच्चतम स्तर पर मनमाने ढंग से जोड़ा गया है, रिकॉर्ड के अनुसार सामने नहीं आया था और उनकी दूसरी अपील, तदनुसार, खारिज कर दी गई थी।

(7) तथापि, उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा सी. डब्ल्यू. पी.-3879-2011 में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और इसे इस आधार पर 26.03.2013(अनुलग्नक-P8) अनुमति दी गई थी कि प्रतिवादी संख्या 1 का दायरा केवल यह देखने के लिए था कि क्या मांगी गई जानकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत छूट खंडों में से किसी के तहत आती है जो नहीं की गई थी और यह कि विचाराधीन फाइलों को पढ़ना और उनकी सराहना करना आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं था।नतीजतन, मामले को नए निर्णय के लिए रिमांड पर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बाद का आदेश दिनांक 05.07.2013 (अनुलग्नक P9) पारित किया गया।

(8) इस प्रकार, याचिकाकर्ता के वकील ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को एक आरोपी होने के दायरे में लाया गया है, जिसके खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया है और इसलिए, वह उन गवाहों के बयानों का हकदार था जो दिनांक 25.08.2005 की प्रारंभिक जांच करते समय दर्ज किए गए थे।इसी तरह, धारा 120-बी, 420,468,471 और 201 और पी. सी. अधिनियम 1968 की धारा 13 (2) और 13 (1) (डी) के तहत दायर FIR में याचिकाकर्ता का नाम शामिल करने के लिए तत्कालीन निदेशक, सी. बी. आई. की सिफारिशों को आधिकारिक मामले की फाइल की प्रमाणित प्रति प्रदान करने के लिए आवश्यक था।

(9) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के लिए संख्या 2 से 4 के वकील ने प्रस्तुत किया कि आयोग द्वारा पारित आदेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अच्छी तरह से उचित था।कि चालान प्रस्तुत कर दिया गया था और मामला निचली अदालत के समक्ष निर्णय के लिए लंबित था।तथ्यों और परिस्थितियों में मांगी गई जानकारी खंड 8 (1) (जी) और

(एच) के दायरे में थी।बयानों का खुलासा सूचना के स्रोत की पहचान करेगा और इसलिए, गवाहों के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा और कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई सहायता।

(10) इस प्रकार, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो मुद्दा उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता को बयानों के लिए आत्यन्तिक अधिकार है।प्रारंभिक जांच करते समय दर्ज किए गए सभी गवाहों और तत्कालीन निदेशक, सी. बी. आई. द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की खंड 13 के तहत दर्ज FIR में उनका नाम शामिल करने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश करने के लिए की गई सिफारिशों के बारे में।

(11) यह विवाद मुख्य रूप से रेलवे के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत रवि आजाद द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के इर्द-गिर्द घूमता है, जिन्हें हरियाणा सशस्त्र पुलिस में विशेष रूप से अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों से कांस्टेबल के 160 पदों और सरकारी रेलवे पुलिस में कांस्टेबल (सभी श्रेणियों) के 350 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने का काम सौंपा गया था।चयन बोर्ड में दो और अधिकारी शामिल थे, अर्थात् श्री अरुण कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, जीआरपी, अंबाला कैंट और श्री उदय शंकर, पुलिस उपाधीक्षक, अंबाला और इस अदालत द्वारा पारित निर्देशों के तहत FIR दर्ज की गई थी क्योंकि प्रतीक्षा सूची में विसंगति थी और मूल को पेश नहीं किया गया था।इस अदालत ने देखा था कि दिए गए अंकों को दर्शाने वाला मूल रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया था और इसे जांच के लिए सी. बी. आई. को भेजा गया था, जिससे पता चला कि पूरी चयन प्रक्रिया गढ़ी गई थी और मूल रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया था, जिसके कारण आपराधिक मुकदमा शुरू किया गया था।

(12) उपरोक्त तथ्य, जैसा कि देखा गया है, यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता को प्रारंभिक चरण में कभी भी अभियुक्त नहीं किया गया था, जब इस न्यायालय द्वारा सी. डब्ल्यू. पी.-18346 में 13.12.2004 पर निर्देश जारी किए गए थे -

एक FIR दर्ज करें। उसी के अनुसरण में, 25.08.2005 पर एक प्रारंभिक जांच की गई, जो रवि आजाद आई. पी. एस. और 2 अन्य डी. एस. पी. और चयन बोर्ड के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज की गई थी।उक्त सदस्यों को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा 22.09.2003 पर नामित किया गया था।प्रारंभिक जांच और तत्कालीन निदेशक, सी. बी. आई. द्वारा की गई टिप्पणियों और सिफारिशों के आधार पर, याचिकाकर्ता का नाम इस प्रकार शामिल किया गया था।

(13) अधिनियम की खंड 8 सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है।खंड 8 के तहत, विभिन्न श्रेणियों को चित्रित किया गया है जिसमें अधिकारियों को कोई भी जानकारी देने का कोई दायित्व नहीं होगा, बशर्ते कि उक्त जानकारी उक्त खंड के दायरे में आए। वर्तमान मामले में खंड 8 (1) (जी) और (एच) लागू होगी।वही नीचे पढ़ा गया है:

"8. सूचना के प्रकटीकरण से छूट:

(1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी नागरिक को देने का कोई दायित्व नहीं होगा -

(g) ऐसी सूचना, जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा।

(h) ऐसी जानकारी जो अपराधियों की जाँच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करे।"

(14) सूचना के स्रोत की पहचान ऐसी होती है जिससे किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।स्रोत पुलिस के लिए एक मुखबिर हो सकता है और जो पुलिस को जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इसमें जनहित शामिल होगा।इसलिए, ऐसे व्यक्ति की गोपनीयता बनाए रखना जनहित में होगा और इसलिए, विधायिका ने अपने विवेक में, इस प्रकार की जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी है।इस प्रकार, ऐसे व्यक्तियों द्वारा अभियोजन पक्ष को विश्वास में दी गई सहायता से भी जानकारी के प्रकटीकरण से समझौता किया जा सकता है।यह उक्त व्यक्तियों के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और इसलिए, अधिनियम के तहत छूट खंड को आकर्षित करेगा।

याचिकाकर्ता को उक्त जानकारी देने से केवल यह सुनिश्चित होगा कि पुलिस के पास जिस तरह का स्रोत है, वह भविष्य में तब नहीं होगा जब किसी आरोपी के पूछने पर ऐसी जानकारी का खुलासा हो जाए।इस प्रकार, प्राप्त जानकारी की गोपनीयता का खुलासा करने के दूरगामी परिणाम, याचिकाकर्ता के अधिकार को अभिभूत कर देंगे।

(15) इसी तरह, खंड 8 (1) (एच) के तहत, एक बार जब अपराधी का अभियोजन अभी भी प्रक्रिया में है, क्योंकि यह विवादित नहीं है कि चालान दायर किया गया है, लेकिन मुकदमा चल रहा है, इसलिए 'अपराधी का अभियोजन' की परिभाषा को पहले वाले भाग के अलावा अलग से पढ़ना होगा, जिसमें जांच के उद्देश्य से छूट का दावा किया गया है। जाँच समाप्त हो सकती है लेकिन अपराधी का अभियोजन जारी रहता है और इसलिए, महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित जो अभियोजन पक्ष के लिए उपलब्ध है, जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोपी से संबंधित, इस प्रकार, समझौता किया जाएगा यदि आवश्यक जानकारी, इस तरह, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है।इस प्रकार, प्रत्यर्थी-अधिकारियों द्वारा जो आशंका व्यक्त की गई है, उसे मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता है और यह एक वास्तविक आशंका है, न कि जानकारी को नकारने के लिए केवल एक छलावा है।

इस प्रकार, जाँच में शामिल प्रक्रिया या कार्यप्रणाली भी उजागर होगी और अभियोजन पक्ष के मामले में बाधा उत्पन्न करेगी, यदि इस स्तर पर, ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित की है और किसी भी विचलन की अनुमति है, तो इस प्रकार, केवल अपराधियों के अभियोजन में बाधा उत्पन्न होगी।जाँच के पर्यवेक्षण में घुसपैठ, जो कि एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा मांगी जाती है, केवल अधिकारियों को बाहरी दबावों के लिए उजागर करेगी और उस स्वतंत्रता को सीमित करेगी जिसके साथ जाँच की गई थी और अभियोजन जिसे चलाया जाना था।यह केवल आपराधिक मुकदमे के लिए प्रतिकूल होगा जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है।याचिकाकर्ता, जैसा कि देखा गया है, आधिकारिक मामले की फाइल की प्रमाणित प्रतियां मांग रहा है जिसमें जांच अधिकारियों की टिप्पणियां और तत्कालीन निदेशक, सी. बी. आई. की पर्यवेक्षी टिप्पणियां होंगी। अतः यह

जानकारी अनिवार्य रूप से खंड 8 (1) (जी) और (एच) के दायरे में आएगी और इस प्रकार उसे प्रदान नहीं की जा सकती है।इस प्रकार, प्रत्यर्थी-आयोग उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सभी उक्त सूचनाओं का खुलासा करने से सूचना के स्रोत की पहचान करने के अलावा व्यक्तियों के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरा होगा।

(16) जैसा कि देखा गया है, आयोग का दायरा केवल यह देखने के लिए है कि क्या मांगी गई जानकारी से इनकार करना अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा उचित था या नहीं। उपरोक्त आधारों पर जानकारी का खंडन किया गया था।इस प्रकार, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से उचित था कि टिप्पणियों के नोट करने वाले हिस्से और उन कारणों को देकर जो तत्कालीन निदेशक, सी. बी. आई. के पास याचिकाकर्ता का नाम एक आरोपी के रूप में शामिल करने के लिए प्रबल थे, खंड 8 (1) (जी) और (एच) के दायरे में आएगा क्योंकि नोट करने वाला हिस्सा उस जानकारी के स्रोत की पहचान करेगा जिससे कानून प्रवर्तन के लिए विश्वास में सहायता दी गई थी।इसलिए, आयोग ने सूचना के दावे के लिए याचिकाकर्ता की अपील को अनुमति नहीं देने के लिए वैध कारण दिए हैं।

एक बार जब अधिनियम कुछ प्रकार की जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करता है, बशर्ते कि प्रतिवादी इस आधार पर इनकार को उचित ठहरा सकें कि यह उक्त प्रावधानों के तहत आता है, तो उक्त आदेश किसी भी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देगा।

(17) नतीजतन, वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, इसे खारिज कर दिया जाता है।

सुमती जुंद

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा से इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए

निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

सुनीता रानी